वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

दिनांक 4 जनवरी, 2019 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 04 जनवरी, 2019 को अपरान्ह 12:30 बजे गांधी भवन में विद्या परिषद की 58 वीं बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्न अधिकारीगण एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे :–

01. प्रो0 अशोक शर्मा, कुलपति, वमखुवि,कोटा	अध्यक्ष
02. प्रो0 अनिल शुक्ल ,कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	सदस्य
03. प्रो0 पी0के0 शर्मा,वमखुविवि,कोटा	सदस्य
04. प्रो0 एच0बी0 नंदवाना, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
05. प्रो0 दिनेश गुप्ता,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
06. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
07. डॉ0 जे0के0 शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,अजमेर	सदस्य
08. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,कोटा	सदस्य
09. डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10. डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11. डॉ0 अनुरोध गोधा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
12. डॉ0 अकबर अली, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
13. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
14. डॉ0 अनुराधा दुबे , सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
15. डॉ0 कपिल गौतम, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
16. डा0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17. श्री रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
18. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
19. डा0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सहा0 वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
20. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
21. डा0 नित्यानंद शर्मा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
22. श्री महेन्द्र मीणा, कुलसचिव, वमखुवि, कोटा	सदस्य सचिव

प्रो0 डी0 पी0 जारोली, डा0 राजेश शर्मा, एवं निदेशक, कालेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विद्या परिषद में तीन शिक्षाविदों के मनोनयन हेतु उन्हें अधिकृत किया गया था इस हेतु प्रो0 डी0 पी0 जारोली (जयपुर), डॉ राजेश शर्मा (जयपुर) एवं प्रो0 अनिल शुक्ल (बरेली) का मनोनयन किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने नये सदस्य के रूप में उपस्थित प्रो0 अनिल शुक्ल का स्वागत करते हुए उनका परिचय करवाया।

तत्पश्चात् कुलसचिव महोदय द्वारा बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया एवं बिन्दुवार विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्न निर्णय लिये गये।

58/01 विद्या परिषद की 57वीं बैठक दिनांक 02 जनवरी 2018 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 57वीं बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्यगणों को दिनांक 03 जनवरी 2018 को प्रेषित कर दस दिवस में टिप्पणी मांगी गई थी, कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जानकारी में लाया गया है कि टंकण त्रुटि के कारण बिंदु संख्या 57/10 में PGDVES के स्थान पर PGDVS टंकित हो गया है एवं बिंदु संख्या 57/19(2) में कार्यालय आदेश 626 दिनांक 20.09.2017 के स्थान पर 20.09.2013 टंकित हो गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अतः उक्त टंकण त्रुटि में संशोधन करते हुए कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

58/02 विद्या परिषद की 57वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद की 57वीं बैठक में लिए गए निणर्यो का बिंदुवार पालना प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया।

अनुपालना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 57/19(7) के अंतर्गत प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर की सेवा निवृत्ति के कारण परीक्षा विभाग द्वारा गठित समिति में प्रो0 एल0आर0 गुर्जर के स्थान पर प्रो0 एच0बी0 नंदवाना, निदेशक (अकादमिक) को नियुक्त करने के निर्णय के साथ ही अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

58/03 अर्थमिती में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति गठन आदेश पुष्टि हेतु।

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति के गठन के आदेश की पुष्टि करते हुए इस संबंध में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश डॉ0 सुरेन्द्र कुलश्रेष्ठ को प्रदान किये गये।

58/04 शैक्षणिक समकक्षता समिति के गठन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा जारी आदेश पुष्टि हेतु।

शैक्षणिक समकक्षता समिति के गठन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4995 दिनांक 15.12.2018 की पुष्टि की गई।

58/05 योग विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने स्वीकृति का प्रस्ताव।

योग विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना को अनुमोदित किया गया।

58/06 University Grants Commission Regulations (Minimum Qualifications for appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and College and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) 2018 को विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांकः F.1(4)Edu-4/2016 Jaipur, dated 01-10-2018 के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षकों को दिनांक 01–01–2016 से संशोधित यू0जी0सी0 वेतनमान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पत्र क्रमांकः F.1(4)Edu-4/2016 Jaipur, dated 01-10-2018 के बिन्दु संख्या 14 के माध्यम से University Grants Commission Regulations (Minimum Qualifications for appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and College and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) 2018 को विश्वविद्यालय में लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः University Grants Commission Regulations, 2018 को उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए तथा यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 को विश्वविद्यालय सेवानियमों का भाग बनाये जाने का अनुमोदन किया गया।

58/07 बारहवें दीक्षांत समारोह के लिए दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन एवं इससे सम्बन्धित प्रस्तावः–

1. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह के बाद घोषित हुए है, उनमें सफल हुए छात्रों को उपाधि /डिप्लोमा प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

2. दिसंबर–2017 एवं जून–2018 तक आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सफल एवं शोध कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि /डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु संलग्न दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेंडा

58/08 (1) : विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोगिक कार्य की समयावधि के सम्बन्ध में जारी आदेश पुष्टि हेतु।

निदेशक , संकाय योजना एवं विकास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न प्रायोगिक कार्यक्रमों की प्रायोगिक कार्य की कुल अवधि एवं विभिन्न घटकों हेतु समय के विभाजन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक 1864 दिनांक 18.08.2018 जारी किए गए है, यह आदेश प्रवेश सत्र 2018 से लागू किए गए है, जारी किए गए आदेश की पुष्टि की गई।

58/08 (2) : विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ कम्प्यूटर साइन्स के nomenclature को मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) में परिवर्तन के संदर्भ में जारी कार्यालय आदेश पुष्टि हेतु।

निदेशक ,संकाय योजना एवं विकास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ कम्प्यूटर साइन्स के nomenclature को मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) में परिवर्तन के संदर्भ में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक VMOU/SOST/2018/121-27 दिनांक 20–8–2018 की पुष्टि की गई।

58/08 (3): मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा M.Phil/Ph.D के क्रम में जारी नोटिफिकेशन दिनांक 5 मई 2016 को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु गठित समिति का कार्यवाही विवरण।

निदेशक, शोध के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक वमखुवि/2019/6473 दिनांक 2–1–2019 के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नोटिफिकेशन दिनांक 5 मई 2016 जो कि M.Phil/Ph.D से सम्बन्धित है, को लागू करने हेतु गठित समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए 5 मई, 2016 के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को जारी नोटिफिकेशन तथा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी पीएच0डी0 गाईडलाइन्स (दिनांक 21 अप्रेल, 2017) को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया गया।

डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर द्वारा एम.फिल/पीएच0डी0 कार्यक्रम में सुपरवाईजर के रूप में निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को भी सम्मिलित करने की मांग की गई । जिस पर चर्चा करते हुए इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों में इस संबंध में निर्धारित मापदण्डों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश के साथ इसके विस्तृत अध्ययन हेतु निम्न समिति का गठन किया गया।

1. प्रो0 एच0बी0 नंदवाना, निदेशक, अकादमी
2. डॉ0 सुबोध कुमार, निदेशक, शोध
3. डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर
4. डॉ0 अनुरोध गोधा, सहायक आचार्य, वाणिज्य

58/08 (4) : एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में Ph.D. Viva-voce/Intervoew, Synopsis Evaluation and Thesis Evaluation के मानदेय की दरों को बढ़ाने बाबत।

निदेशक, शोध के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक वमखुवि/2019/6473 दिनांक 2–1–2019 के साथ सलंग्न प्रस्ताव एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में Ph.D. Viva-voce/Interview, Synopsis Evaluation and Thesis Evaluation के मानदेय की दरों को बढ़ाने बाबत प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना विद्या परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए प्रस्ताव को वित्त समिति में प्रस्तुत करने का सुझाव निदेशक (शोध) को दिया गया।

58/08 (5) : विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के Nomenclature के अग्रेंजी एवं हिन्दी को और अधिक विवेकयुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

पाठ्यक्रमों के Nomenclature के अंग्रेजी एवं हिन्दी को और अधिक विवेकयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव के अध्ययन हेतु निम्न समिति का गठन किया गया ।

1. प्रो0 पी0के शर्मा निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ
2. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, परीक्षा नियंत्रक
3. डॉ0 रवि गुप्ता, सहायक आचार्य, गणित

उक्त समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर आगामी 12 वें दीक्षान्त समारोह एवं तत्पश्चात् आयोजित दीक्षान्त समारोह हेतु उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र मुद्रित करवाये जायेंगे। समिति की अभिशंसा और अग्रिम कार्यवाही आगामी विद्या परिषद की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

58/08 (6) : The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 18 of 1974 के अनुसार Career Advancement Scheme (CAS) के तहत पदोन्नति प्रदान करने बाबत विषय विशेषज्ञों का पेनल सम्बन्धी प्रस्ताव।

निदेशक, संकाय व योजना एवं विकास के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक मखुवि/संयोवि/अमा/2019/दिनांक 3–1–2019 के साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के पत्रकारिता (जर्नलिज्म) व शिक्षा विषयों के प्राध्यापकों को Career Advancement Scheme (CAS) के तहत पदोन्नति प्रदान करने के बाबत विषय विशेषज्ञों के पेनल का अनुमोदन किया गया।

58/08 (7) : वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, द्वारा संचालित वर्ष 2014 के पूर्व की बीएपी के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमो में प्रवेश देने हेतु पात्रता का निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से वर्ष जनवरी 2014 के पूर्व बीएपी/बीसीपी/बी.एससी.पी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमो में प्रवेश देने के संदर्भ में निम्न निर्णय लिया गया:–

वर्ष 2014 से पूर्व के बीएपी/बीसीपी/बी.एससी.पी उत्तीर्ण विद्यार्थी जनवरी 2019 प्रवेश सत्र से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगें।

जनवरी 2019 प्रवेश सत्र से एवं इनसे संबंधित प्रवेश विवरणिका में 10+2 उत्तीर्ण के साथ वीएमओयू से जनवरी 2014 एवं इसके पश्चात बीएपी/बीसीपी/बी.एससी.पी (एक वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले एवं संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु योग्य माना जावे।

साथ ही जिन डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में 12वीं कक्षा को पात्रता हेतु स्वीकार किया गया है वहां जनवरी 2014 एवं इसके पश्चात बीएपी/बीसीपी/बी.एससी.पी (एक वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले एवं संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु योग्य निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया।

वहीं जहा उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 1989 से पूर्व हायर सैकण्डरी की योग्यता निर्धारित किया गया था उसे यथावत रखा जाए।

58/08 (8) : विश्वविद्यालय के शोध विभाग में Ph.D कार्यक्रम के सत्र 2013 में पंजीकृत छात्रों के द्वारा शोध कार्य पूर्ण नहीं (Withdraw) करने का प्रस्ताव।

शोध विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विद्या परिषद में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के अनुकूल नहीं माना गया। चुंकि शोध के संबंध में Research Ordinance पूर्व मे ही बना हुआ है अतः Research Ordinance के नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

58/08 (9) : विश्वविद्यालय के शोध विभाग में Ph.D कार्यक्रम के सत्र 2014 में पंजीकृत छात्रा के द्वारा शोध कार्य पूर्ण नहीं (Withdraw) करने का प्रस्ताव।

शोध विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव को विद्या परिषद में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के अनुकूल नहीं माना गया। चुंकि शोध के संबंध में Research Ordinance पूर्व मे ही बना हुआ है अतः Research Ordinance के नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

58/08 (10) : विश्वविद्यालय के शोध विभाग में Ph.D कार्यक्रम के सत्र 2013 में पंजीकृत छात्र/छात्राओं के द्वारा प्रथम वर्ष की शिक्षण शुल्क जमा करवानें के बाद शोध कार्यक्रम गतिविधियों में भाग नहीं लेने का प्रस्ताव।

शोध विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव को विद्या परिषद में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के अनुकूल नहीं माना गया। चुंकि शोध के संबंध में Research Ordinance पूर्व मे ही बना हुआ है अतः Research Ordinance के नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

58/08 (11) : The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 18 of 1974 के अनुसार Career Advancement Scheme (CAS) के तहत पदोन्नति प्रदान करने बाबत वाणिज्य, अग्रेंजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, संस्कृत, वनस्पति, शास्त्र, लोक प्रशासन व शिक्षा विषयों के विषय विशेषज्ञों का पेनल सम्बन्धी प्रस्ताव।

निदेशक, संकाय व योजना एवं विकास के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक वमखुवि/संयोवि/अमा/2019/2024 दिनांक 4–1–2019 के साथ सलंग्न प्रस्ताव विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के वाणिज्य, अग्रेंजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, संस्कृत, वनस्पति शास्त्र, लोक प्रशासन व शिक्षा विषयों के प्राध्यापकों को Career Advancement Scheme (CAS) के तहत पदोन्नति प्रदान करने के बाबत विषय विशेषज्ञों के पेनल का अनुमोदन किया गया।

58 / 08 (12) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति विनियम, 2017 एवं विनियम, 2017 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव।

भारत का राजपत्र असाधारण, भाग – III–खण्ड–4, संख्या 2471 दिनांक जून 23, 2017 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना के अन्तर्गत यूजीसी (Open and Distance Learning) Regulation 2017,

भारत का राजपत्र असाधारण, भाग – III–खण्ड–4, संख्या 593 दिनांक अक्टूबर 11, 2017 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना के अन्तर्गत यूजीसी (Open and Distance Learning) Regulation 2017 प्रथम संशोधन।

भारत का राजपत्र असाधारण, भाग – III–खण्ड–4, संख्या 48 दिनांक फरवरी 01, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना के अन्तर्गत यूजीसी (Open and Distance Learning) Regulation 2017 द्वितीय संशोधन।

उक्त विनियमों को विश्वविद्यालय में लागू करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव (विद्या परिषद)